नेतरहाट विद्यालय समिति के सामान्य निकाय की, दिनांक 18.10.2013 को, श्रीमती गीताश्री उराँव, माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, रांची की अध्यक्षता में, आहूत बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थितिः–

क्र0	नाम	सामान्य निकाय में धारित पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्रीमती गीताश्री उराँव माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची।	अध्यक्ष	उपस्थित
2	श्री ए०के0 सरकार, भा०प्र०से०, विकास आयुक्त, झारखण्ड सरकार, राँची।	उपाध्यक्ष	उपस्थित
3	श्री ज्योति भ्रमर तुबिद्, भा०प्र०से०, प्रधान सचिव,राजस्व विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची।	सदस्य	उपस्थित
4	श्री के. विद्यासागर, भा०प्र०से०, प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची।	सदस्य	उपस्थित
5	प्रमंडलीय आयुक्त, पलामू।	सदस्य	उपस्थित
6	श्री नरेन्द्र भगत (भा०प्र०से०, सेवानिवृत) पूर्ववर्ती छात्र, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, अग्रवाल नर्सिग होम के निकट, बरियातू, राँची।	सदस्य	उपस्थित
7	उपायुक्त, लातेहार।	सदस्य	अनुपस्थित
8	उपायुक्त, लोहरदगा।	सदस्य	अनुपस्थित
9	श्री कृष्ण स्वरूप प्रसाद, सेवानिवृत शिक्षक, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, 184/सी० 2, हरिहर सिंह रोड, मोरहाबादी, राँची।	सदस्य	उपस्थित
10	श्री कालीचरण देवघरिया, सेवानिवृत शिक्षक, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, 144/ई, हरिहर सिंह रोड, मोरहाबादी, राँची।	सदस्य	उपस्थित
11	डॉ० रजी अहमद, शिक्षाविद्, सेवानिवृत प्राध्यापक, जी०एल०ए० कॉलेज मेदिनीनगर, रिभर साईड नावाटोली, पो०–नावाटोली, मेदिनीनगर, पलामू।	सदस्य	उपस्थित
12	वित्त विभाग, के प्रतिनिधि	सदस्य (वित्त सचिव द्वारा मनोनीत)	उपस्थित
13	श्री विमलांशु शेखर मल्लिक, प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य सचिव	उपस्थित

1. उपस्थिति : संलग्न है।

   बैठक में अनुपस्थित उपायुक्त, लातेहार तथा उपायुक्त लोहरदगा के अनुपस्थिति–अवकाश की स्वीकृति दी गई।

2. नेतरहाट विद्यालय समिति के सामान्य निकाय के विगत बैठक दिनांक 20.03.2013 की कार्यवाही को संपुष्ट किया गया।

3. दिनांक 20.03.2013 को समिति के सामान्य निकाय की बैठक में निर्णय के अनुपालन प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।

4. अध्यक्ष की अनुमति से 'समिति' के सामान्य निकाय के सदस्य श्री नरेन्द्र भगत, भा०प्र०से० (से.नि.),नेतरहाट विद्यालय के सृजन–काल से लेकर वर्तमान काल तक का संक्षिप्त परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत किया। उक्त प्रसंग में वर्ष 1948 में बिहार विधानसाभा द्वारा पारित प्रस्ताव के क्रम में राज्य सरकार के स्तर पर, विद्यालय स्थल चयन तथा अन्य सम्बन्धित विस्तृत विवरण हेतु शिक्षाविद् एफ.जी.पीयर्स के प्रतिवेदन तथा तत्सम्बन्धित सरकार के निर्णय की रूप रेखा प्रस्तुत की गई। इसके बाद उल्लेख किया गया कि नेतरहाट विद्यालय की स्थापना भारतीय संस्कृति में प्राचीन कालीन गुरूकुल परंपरा का अवसरन करते हुए की गई। यह पूरी तरह एक आवासीय विद्यालय के स्वरूप में था। विद्यालय के छात्रावास का नामकरण 'आश्रम' छात्रावास अधीक्षक को 'आश्रमाध्यक्ष' तथा उनकी धर्मपत्नी को 'आश्रममाता' के रूप में नामकरण किये गये। विद्यालय में छात्रों के प्रवेश की आयु 10 से 12 वर्ष तथा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर पूर्णतः मेधा आधारित एवं छठी कक्षा से प्रारंभिक पढ़ाई शुरू की गई। शिक्षा शुल्क का आधार छात्र के माता पिता/अभिभावक के वार्षिक आय के आधार पर वर्गीकरण किया गया। तद्नुसार चयनित निर्धन अथवा निर्धनतम छात्र हेतु शिक्षा शुल्क तथा अन्य व्यय की राशि शून्य थी। विद्यालय में धर्म, सम्प्रदाय एवं जातिवाद के आधार पर चिह्नित तथा भेदभाव आधारित कोई चर्चा अथवा समस्या कभी नहीं रही। आश्रम के छात्रों को श्रम के प्रति आदर भाव रखे जाने की दृष्टि से आश्रमों की सफाई–शौचालयों की सफाई सहित, खाने के बर्तनों की सफाई के साथ संलग्न किया गया, जिस परंपरा का निर्वाहन अन्त तक किया जा रहा है। बड़ों के प्रति प्रारम्भ से ही आदरभाव अपनाए जाने की शिक्षा दी गई, भले ही वे धोबी, मोची, माली या रसोईया का ही काम करते हों। 15 नवम्बर 1954 को विद्यालय के प्रथम बैंच द्वारा आधारशीला रखी गई तथा इसका शुभारंभ नेतरहाट स्थित ब्रिटिश काल में बने शैले (Chalet) से किया गया। विद्यालय की रजत जयन्ती वर्ष 1979 तथा स्वर्ण जयन्ती 2004 में मनायी गयी तथा आगामी 15 नवम्बर 2014 को विद्यालय की हीरक जयन्ती वर्ष का समारोह प्रतीक्षित है। अब तक विद्यालय से लगभग 5000 से अधिक छात्र निकल चुके हैं तथा अपनी सेवाएं विभिन्न तकनीकी एवं अन्य सामाजिक क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर–राज्य/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर, प्रतिबद्धता एवं कुशलता पूर्वक दे रहे हैं।

5. विद्यालय में नव नियुक्त प्राचार्य बिमलांशु शेखर मल्लिक जिन्होंने 01.10.2013 को योगदान दिया, नेतरहाट विद्यालय की वर्तमान स्थिति, विशेषकर आधारभूत संरचनाओं के अद्यतन स्थिति के संदर्भ में संक्षिप्त प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा समिति का ध्यान आकृष्ट करते हुए यह आग्रह किया कि इस हेतु चिह्नित परियोजनाओं की अतिशीघ्र प्रशासनिक स्वीकृति दी जाय। वर्तमान परिदृश्य में विद्यालय को एक विश्वस्तरीय स्वरूप प्रदान करने की दष्टि से, अन्य संरचनाओं सहित आधुनिकतम इन्टरनेट सुविधा युक्त करना तथा सुगमता पूर्वक संचार व्यवस्था स्थापित करने हेतु मोबाईल/टेलीफोन प्रणाली नेतरहाट पठार पर स्थापित किया जाना अत्यन्त आवश्यक बताया गया।

6. सर्वसम्मति से निम्नलिखित प्रस्तावों के अनुमोदन किये गये :–

(i) कार्यसूची की मद सं० 6(**नेतरहाट विद्यालय में विभिन्न विषयों के शिक्षक के स्वीकृत पदों का विषयान्तरण**) में वर्णित प्रस्ताव :–

नेतरहाट विद्यालय में वर्तमान में शिक्षक के हिन्दी में 6,दर्शन शस्त्र में 1, भौतिक शास्त्र में 3, रसायन शास्त्र में 3, तथा जीव विज्ञान में 3 पद स्वीकृत हैं।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, हिन्दी में शिक्षक के स्वीकृत 1 पद को भौतिक शास्त्र में तथा 1 पद को रसायन शास्त्र में एवं दर्शन शास्त्र के स्वीकृत 1 पद को जीव विज्ञान में विषयान्तरित करने के प्रस्ताव की, कार्यकारिणी समिति की दिनांक 30.08.2013 की आहूत बैठक की कार्यवाही की कंडिका 11 के अनुसार, स्वीकृति दी गई। इस प्रकार अब हिन्दी में 4, दर्शन शास्त्र में शून्य, भौतिक शास्त्र में 4,रसायन शास्त्र में 4 तथा जीव विज्ञान में 4 शिक्षकों के स्वीकृत पद होंगे। शिक्षक के स्वीकृत पदों के विषय के उपरोक्त बदलाव से विद्यालय में शिक्षक के स्वीकृत पदों के कुल योग में कोई बदलाव नहीं होगा। विषयान्तरण हेतु उपरोक्त वर्णित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

(ii) कार्यसूची की मद सं० 7 (**नियुक्ति नियमावली में संशोधन**) में वर्णित प्रस्ताव :–

समिति की नियमावली के Chapter II के Annexure I के बिन्दु 6 के अनुसार पुस्तकालयाध्यक्ष तथा सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष का एक ही वेतनमान PB –II, 9300-34800 Grade Pay 4200 है। पुस्तकालयाध्यक्ष का संशोधित वेतमान PB –II, 9300-34800 Grade Pay 4800 करने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।

(iii) कार्यसूची की मद सं० 8 (**नेतरहाट विद्यालय परिसर अन्तर्गत भवनों एव अन्य संरचनाओं का जीर्णोद्धार/नवनिर्माण कार्य के DPR प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति**) के सम्बन्ध में प्रस्ताव :–

नेतरहाट विद्यालय परिसर अन्तर्गत अधिकांश भवनों का निर्माण हुए 50 वष से भी ऊपर हो चुके हैं। सभी भवनों की दयनीय स्थिति हो गई है। आश्रमों/छात्रावासों, पाकशालाओं की हालत अत्यधिक जर्जर है। विभिन्न भवनों के जीर्णोद्धार/नवनिर्माण कार्य हेतु रू० 30.90 करोड़ का तकनीकी अनुमोदित DPR प्राक्कलन, प्रशासनिक स्वीकृति हेतु मानव संसाधन विकास विभाग को प्रेषित है। मानव संसाधन विकास विभाग झारखण्ड से, उपरोक्त DPR प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति शीघ्र देने का अनुरोध किया गया।

7. **अन्यान्य** :–

(i) विद्यालय के पाढ़यक्रम में सम्प्रति सम्मिलित विभिन्न विषयों के अतिरिक्त कानून एवं वाणिज्य विषयों को सम्मिलित किये जाने के अध्यक्ष के प्रस्ताव पर विचार किया गया। प्राचार्य को निदेश दिया गया कि सभी विषयों में छात्रों एवं शिक्षकों के आदर्श अनुपात के अनुसार विद्यालय में कुल आवश्यक शिक्षकों एवं अन्य सेवा कर्मियों की गणना कर, अतिरिक्त पद सृजन हेतु प्रतिवेदन शीघ्र समर्पित करेंगे।

(ii) विद्यालय के वर्तमान राज्यस्तरीय शैक्षणिक प्रणाली के विस्तार की दृष्टि से विद्यालय का सम्बन्धन CBSE के साथ संबद्ध किये जाने हेतु सैद्धान्तिक सहमति व्यक्त की गई। प्राचार्य को निदेश दिया गया कि इस संदर्भ में वांछित संरचनाओं को तैयार करने हेतु एक प्रतिवेदन प्रेषित करें ताकि 2015 तक विद्यालय को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से सम्बद्ध कराया जा सके।

(iii) अगली नेतरहाट विद्यालय समिति (संस्थान) के सामान्य/कार्यकारिणी समिति के मनोनीत सदस्यों (समिति की नियमावली/झारखण्ड गजट असाधारण अंक 625 के नियम 2 के सुसंगत प्रावधान के अधीन) के चयन हेतु सामान्य निकाय के अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

(iv) नेतरहाट विद्यालय परिसर अन्तर्गत शैले (Chalet) का लातेहार जिला प्रशासन द्वारा विगत 6–7 वर्षो से उपयोग किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि शैले नेतरहाट विद्यालय की सम्पति है। 1954 में विद्यालय का प्रारम्भ शैले से ही हुआ। साथ ही यह विद्यालय के प्राधानाचार्य का आवास, विद्यालय का चिकित्सालय एवं अतिथि आवास भी रहा है। नेतरहाट विद्यालय समिति को विद्यालय कार्यक्रमों के लिए भवन की नितान्त आवश्यकता है। उपायक्त, लातेहार से अनुरोध किया गया कि शैले शीघ्रताशीघ्र नेतरहाट विद्यालय को वापस कर दिया जाय ताकि विद्यालय गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके।

(v) नेतरहाट आवासीय विद्यालय के 15 नवम्बर 2014 को 60वर्ष पूरे होने के अवसर पर हीरक जयन्ती वर्ष समारोह के आयोजन की तैयारी हेतु विभिन्न समितियां बनाकर प्रतिमाह समीक्षात्मक बैठक करने का निदेश, प्राचार्य को दिया गया।

(vi) नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना (1954) से ही प्रवेश परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर एकीकृत बिहार के छात्रों का नामांकन विद्यालय में किया जाता रहा है। प्रवेश परीक्षा विद्यालय प्रशासन द्वारा ली जाती रही है।

झारखण्ड राज्य के गठनोपरान्त, केवल झारखण्ड के छात्रों का नामांकन लिये जाने का, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्णय लिया गया। विद्यालय में शिक्षकों एवं अन्य सेवा कर्मियों के बहुत पद रिक्त रहने के कारण नेतरहाट विद्यालय प्रवेश परीक्षा, झारखण्ड सरकार के निर्णयानुसार, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् (JAC) द्वारा लिया जाने लगा। गलत आवासीय पते के आधार पर दूसरे राज्य के छात्रों का नेतरहाट विद्यालय में नामांकन होने की खबर फैलती रही है। समिति द्वारा इस पर चिन्ता व्यक्त की गई तथा इसे रोकने पर विचार किया गया। नेतरहाट विद्यालय में नामांकन हेतु ली जाने वाली प्रवेश परीक्षा विद्यालय प्रशासन द्वारा 2015 से आयोजित किये जाने के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गई। प्राचार्य को निदेश दिया गया कि इस सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली सारी प्रक्रियाओं एवं आवश्यकताओं से अवगत होकर पूरी व्यवस्था कर ली जाय।

(vii) यह निर्णय लिया गया कि 'समिति' के गठन दिनांक 15.12.2009 या उसके पूर्व नियुक्त शिक्षकों, कार्यालय कर्मियों एवं अन्य सेवाकर्मियों को देय उपार्जित/चिकित्सा/आकस्मिक आदि अवकाश के अनुरूप ही 'समिति' के गठन 15.12.2009 के पश्चात् नियुक्त शिक्षकों, कार्यालय कर्मियों एवं अन्य सेवाकर्मियों को भी उपार्जित/चिकित्सा/आकस्मिक आदि अवकाश देय होंगे।

अन्त में विद्यालय प्राचार्य द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन किया गया तथा अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

(गीताश्री उराँव)
मंत्री,
मानव संसाधन विकास विभाग,
झारखण्ड सरकार
–अध्यक्ष, नेतरहाट विद्यालय समिति।